रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1795] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 18, 2018/वैशाख 28, 1940
No. 1795] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 18, 2018/VAISAKHA 28, 1940

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2018

का.आ. 1988(अ).—राष्ट्रपति ने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक 4) 18 मई, 2018 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अध्यादेश कहा गया है) को प्रख्यापित किया है, जो उक्त तारीख से प्रवृत्त हो गया है;

और अध्यादेश के प्रारंभ की तारीख से ही केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् अधिक्रांत हो जाएगी और परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य अपने पद रिक्त कर देंगे;

और धारा 3क की उप धारा (2) (जिसे उक्त अध्यादेश द्वारा अंत:स्थापित किया गया है) होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय परिषद् का, परिषद् के अधिक्रांत होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर पुनर्गठन करने की अपेक्षा करती है;

और परिषद् के अधिक्रांत होने पर और जब तक नई परिषद पुनर्गठित नहीं हो जाती तब तक, केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन परिषद की शक्तियों का प्रयोग करने और उसके कार्यों का पालन करने के लिए शासी बोर्ड के गठन की अपेक्षा की जाती है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 3क की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाले शासी बोर्ड का गठन करती है, अर्थात्:—

1	श्री निलंजन सान्याल फ्लैट नं. बी. 504 टॉवर बी, नयनतारा अपार्टमैंट्स, सीबीआईपी सीजीएचएस लि.,प्लॉट नं. 8-बी, सैक्टर-7, द्वारका, फेज-1, नई दिल्ली-**110075.**	— अध्यक्ष
2	श्री प्रमोद कुमार पाठक, संयुक्त सचिव, आयुष मंत्रालय, आयुष भवन, बी ब्लॉक, जीपीओ कामप्लैक्स, आई. एन. ए., नई दिल्ली-110023.	— सदस्य, पदेन
3	डॉ. संजय गुप्ता, एम-1, फॉर्च्यून एस्टेट, फेज-1, कोलार रोड, दामखेडा, भोपाल, मध्य प्रदेश.	— सदस्य
4	डॉ. अनिल कुमारी मल्होत्रा, जे-27, लाजपत नगर III, नई दिल्ली-110024.	— सदस्य
5	डॉ. अनिल खुराना, उप महानिदेशक, केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, 61-65, इंस्टीट्यूभानल एरिया, डी. ब्लॉक, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058	— सदस्य, पदेन
6	डॉ. नित्यानंद तिवारी, शेखारिया बिल्डिंग, 40, पारेख गली, गिरगांव, मुंबई- 400004.	— सदस्य

2. शासी बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्य केंद्रीय सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे।

3. शासी बोर्ड, पदेन सदस्य को छोड़कर, का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि के लिए या नई केंद्रीय होम्योपैथी परिषद का पुनर्गठन होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगा।

[फा. सं. आर-13040/62/2017-एचडी(तक)]

प्रमोद कुमार पाठक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2018

S.O. 1988(E).—Whereas the President promulgated the Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2018 (Ord. 4 of 2018) (hereafter in this notification referred to as the said Ordinance), on the 18th day of May, 2018, which came into force on the said date;

And whereas, on and from the date of commencement of the said Ordinance, the Central Council of Homoeopathy shall stand superseded and the President, Vice President and other Members of the Council vacated their offices;

And whereas sub-section (2) of section 3A (as inserted by the said Ordinance) requires the Central Council to be reconstituted in accordance with the provisions of section 3 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973) within a period of one year from the date of supersession of the Council;

And whereas upon the supersession of the Council until a new Council is reconstituted, a Board of Governors is required to be constituted by the Central Government to exercise the powers and perform the functions of the Council under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 3A of the Homoeopathy Central Council Act, 1973, the Central Government hereby constitutes the Board of Governors consisting of the following Members, namely:—

1.	Shri Nilanjan Sanyal, Flat No. B-504, Tower B, Nayantara Apartments, CBIP CGHS Ltd., Plot No. 8-B, Sector-7, Dwarka, Phase-I, New Delhi- 110075	— Chairperson;
2.	Shri Pramod Kumar Pathak, Joint Secretary, Ministry of AYUSH, AYUSH Bhawan, B Block, GPO Complex, INA, New Delhi- 110023.	— Member, ex-officio;
3.	Dr. Sanjay Gupta, M-1, Fortune Estate, Phase I, Kolar Road, Damkheda, Bhopal, Madhya Pradesh.	— Member;
4.	Dr. Anil Kumari Malhotra, J-27, Lajpat Nagar III, New Delhi- 110024.	— Member;
5.	Dr. Anil Khurana, Deputy Director General, Central Council for Research in Homoeopathy, 61-65, Institutional Area, D-Block, Janak Puri, New Delhi-110058.	— Member, ex-officio;
6.	Dr. Nityanand Tiwari, Sekhsaria Building, 40, Parekh Street, Girgaon, Mumbai-400004	— Member.

2. The Chairperson and other Members of the Board of Governors shall hold office during the pleasure of the Central Government.

3. The term of office of the Board of Governors, other than ex-officio members, shall be for a period of one year or till a new Central Council of Homoeopathy is reconstituted, whichever is earlier.

[F. No. R-13040/62/2017-HD(Tech)]

PRAMOD KUMAR PATHAK, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.05.21 11:32:51 +05'30'